



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 184 राँची, सोमवार, 16 चैत्र, 1948 (श०)
6 अप्रैल, 2026 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

संकल्प
15 जनवरी, 2026

संख्या-13/ने. 06-09/2025/117--

विषय:-नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं सुसंचालन हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना वर्ष 1954 में राज्य के प्रीमियर विद्यालय के रूप में की गयी थी। छात्रों के प्रथम बैच में 60 विद्यार्थी थे, जो वर्ष 1954 में 6-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हुए थे। वर्ष 1982 से छात्रों की संख्या 100 छात्र प्रतिवर्ष/बैच कर दी गयी थी।

2. विभागीय संकल्प सं. 323 दिनांक 23.10.2009 द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय को "नेतरहाट विद्यालय समिति" के नाम से एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में परिवर्तित करते हुए समिति के "सामान्य निकाय" एवं "कार्यकारिणी समिति" के अधिकार एवं कार्यों का निर्धारण किया गया था। वर्ष 2010 की अधिसूचना के प्रभावी होने के फलस्वरूप गठित सामान्य निकाय, जिसके पदेन अध्यक्ष विभागीय मंत्री एवं उपाध्यक्ष, विकास आयुक्त, झारखण्ड होते हैं, द्वारा कार्यकारिणी

समिति के सदस्यों का मनोनयन तथा सभापति का मनोनयन, राज्य सरकार द्वारा संस्था के सदस्य के रूप में मनोनीत नेतरहाट विद्यालय के पूर्व छात्रों से किया जाता है।

3. वर्तमान में नेतरहाट विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से संबद्ध है, अतएव इस विद्यालय के संदर्भ में भी यह अपरिहार्य हो गया है कि सीबी.एस.ई. विद्यालयों हेतु लागू परिवर्तन एवं पाठ्यक्रम के क्रियन्वयन हेतु प्रत्येक स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप शीघ्रातिशीघ्र किया जाय। असली परिवर्तन एक या दो हस्तक्षेप से प्रारंभ और खत्म नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रगति और सुधार हेतु त्वरित समाधानों से आगे जाकर दीर्घकालिक एवं स्तरित बदलाव के लिए प्रतिबद्धता आवश्यक है।

4. विगत कुछ वर्षों में इस विद्यालय की गहन समीक्षा एवं स्थल भ्रमण में शैक्षणिक प्रगति में स्पष्ट ठहराव पाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) के अनुरूप शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा प्रीमियर विद्यालय, नेतरहाट में नामांकन, शिक्षकों की नियुक्ति, पठन-पाठन से संबंधित तकनीकों में परिवर्तन, मूल्यांकन सहित सभी पहलुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रबंधन एवं शिक्षण के स्तर पर ज्यादा सक्षम परिवर्तन हेतु सर्वप्रथम नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली, 2010 को वर्तमान अपेक्षाओं एवं आवश्यकता के अनुरूप इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के प्रभाव से निरसित करते हुए विस्तृत नियमावली के गठन का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, जिससे विद्यालय की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके, उसकी उपयोगिता एवं महत्व प्रमाणित हो सके तथा छात्र भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार हो सकें।

5. अतएव विद्यालय के संबंध में आवश्यक नीतियों के निर्धारण उनके समयबद्ध अनुपालन के उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखते हुए "नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली, 2010" का निरसन करते हुए "नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026" के गठन (अधिसूचना प्रति संलग्न) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-09.01.2026 की बैठक में मद संख्या-31 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमा शंकर सिंह

सरकार के सचिव।
